



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270633
CG-DL-E-03032026-270633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1076]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1076]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1128(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के जिले खरगोन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. NH347C के कि.मी. 0.00 से 136.350 कि.मी. तक खलघाट-कसरावद-खरगोन-बिस्टन से महाराष्ट्र बॉर्डर रोड, भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीनपूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट खरगोन, जिला खरगोन को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के जिले खरगोन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. NH347C के खलघाट-कसरावद-खरगोन-बिस्टन से महाराष्ट्र बॉर्डर रोड के अंतर्गत कि.मी. 54.3 से 74.6 कि.मी. तक (खरगोन बायपास अतिरिक्त), के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: खरगोन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोगाँव					
गांव का नाम: मनचर					
1	33/2/1	निजी	सिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
2	34	सरकारी	नाला	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
3	35	सरकारी	चारागाह	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
4	36	सरकारी	रास्ता	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
5	38	सरकारी	नाला	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
6	41	सरकारी	रास्ता	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
7	43/1/1	निजी	सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
8	44	सरकारी	चरनोई	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
9	45/1/1	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
10	45/2/1	निजी	सिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
11	47/1/1	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
12	47/2/2	निजी	सिंचित	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
13	47/6/1	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
14	7	सरकारी	रास्ता	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
गांव का नाम: राजपुरा					
15	106/1	निजी	असिंचित	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
16	106/3	निजी	असिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
17	47/1/1/1	निजी	सिंचित	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
18	48	सरकारी	रास्ता	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
19	49/4/1/2	निजी	सिंचित	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
20	50/1/1/1	निजी	असिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
21	50/1/1/2	निजी	असिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009

22	51/3/1	निजी	असिंचित	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
23	51/6/1/1	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
24	81/5/1	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
25	82/1	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
26	84	सरकारी	नाला	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
27	85/1/1/2	निजी	सिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
28	85/2/1	निजी	सिंचित	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
29	85/3/1	निजी	सिंचित	0.037 (हेक्टेयर)	0.037
30	85/4/1	निजी	सिंचित	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
31	89/1/1	निजी	सिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
32	89/2	निजी	सिंचित	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
गांव का नाम: मेहरजा					
33	216/3	निजी	सिंचित	0.244 (हेक्टेयर)	0.244
Total					0.772

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/42/2018-19/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2026

S.O. 1128(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. NH347C in the stretch of land from Km. 0.00 to 136.350 Km. Khalghat-Kasrawad-Khargone-Bistan to MH Border Road in the district of Khargone in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Magistrate Khargone, District Khargone, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 54.3 Km. to 74.6 Km. (Khargone ByPass Additional) of Khalghat-Kasrawad-Khargone-Bistan to MH Border Road of National Highway No. NH347C in the district of Khargone in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: Khargone		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gogaon					
Village: Manchar					
1	33/2/1	Private	Irrigated	0.024 (Hectare)	0.024
2	34	Government	Nala	0.003 (Hectare)	0.003
3	35	Government	Charagah	0.003 (Hectare)	0.003
4	36	Government	Rasta	0.001 (Hectare)	0.001
5	38	Government	Nala	0.012 (Hectare)	0.012
6	41	Government	Rasta	0.003 (Hectare)	0.003
7	43/1/1	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
8	44	Government	Charnoi	0.007 (Hectare)	0.007
9	45/1/1	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
10	45/2/1	Private	Irrigated	0.017 (Hectare)	0.017
11	47/1/1	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
12	47/2/2	Private	Irrigated	0.026 (Hectare)	0.026
13	47/6/1	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
14	7	Government	Rasta	0.003 (Hectare)	0.003
Village: Rajpura					
15	106/1	Private	Non Irrigated	0.023 (Hectare)	0.023
16	106/3	Private	Non Irrigated	0.024 (Hectare)	0.024
17	47/1/1/1	Private	Irrigated	0.013 (Hectare)	0.013
18	48	Government	Rasta	0.007 (Hectare)	0.007
19	49/4/1/2	Private	Irrigated	0.044 (Hectare)	0.044
20	50/1/1/1	Private	Non Irrigated	0.009 (Hectare)	0.009
21	50/1/1/2	Private	Non Irrigated	0.009 (Hectare)	0.009
22	51/3/1	Private	Non Irrigated	0.023 (Hectare)	0.023

23	51/6/1/1	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
24	81/5/1	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
25	82/1	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
26	84	Government	Nala	0.006 (Hectare)	0.006
27	85/1/1/2	Private	Irrigated	0.016 (Hectare)	0.016
28	85/2/1	Private	Irrigated	0.028 (Hectare)	0.028
29	85/3/1	Private	Irrigated	0.037 (Hectare)	0.037
30	85/4/1	Private	Irrigated	0.047 (Hectare)	0.047
31	89/1/1	Private	Irrigated	0.017 (Hectare)	0.017
32	89/2	Private	Irrigated	0.014 (Hectare)	0.014
Village: Meharja					
33	216/3	Private	Irrigated	0.244 (Hectare)	0.244
Total					0.772

[F. No. CE-RO BPL/30010/42/2018-19/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director